उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14—अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या : 1204—पें0एवंआर0—28 / पाकालि / 16—60पी / 98—टी0सी0— I I   दिनांक : 17 दिसम्बर 2016

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—सा—3—1508 / दस—2008—308—97 दिनांक 08.12.2008 जिसे कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0—397—पें0एवंआर0—28 / 2009—60—पें0एवंआर0 / 98 दिनांक 02.03.2009 द्वारा अपने पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों पर लागू किये जाने हेतु अंगीकृत किया गया है। शासन के शुद्धि पत्र सं0—सा—3—40वी0आई0पी0 / दस—2009—308—97टी0सी0 दिनांक 11.01.10 द्वारा उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर—7(1) के अंश "दिनांक 01.01.2006 से तथा उसके उपरान्त के प्रकरणों में 07 वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है" को संशोधित करते हुए उसके स्थान पर "01.01.2006 से 07 वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है, 10 वर्ष की अवधि सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख से गिनी जायेगी। परन्तु 10 वर्ष की अवधि उस मामले में लागू नहीं होगी जहाँ बढ़ी हुई कुटुम्ब पेंशन की 07 वर्ष की अवधि पहले ही दिनांक 01.01.2006 को पूरी हो गई थी और परिवार को दिनांक 01.01.2006 को सामान्य कुटुम्ब पेंशन प्राप्त हुई थी" प्रतिस्थापित कर दिया गया। शासन की उक्त व्यवस्था को कारपोरेशन के आदेश सं0—1932—पें0एवंआर0—28 / पाकालि / 10 दिनांक 02.07.2011 द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन एवं वितरण कम्पनियों एवं ट्रान्सकों के पारिवारिक पेंशनरों के लिए अंगीकृत किया गया था।

2. शासनादेश सं0—8—सा—3—533 / दस—2014—308—97टी0सी0 दिनांक 04.08.2014 (प्रति संलग्न) द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशों के कम में शासन द्वारा यह आदेश निर्गत किये गये है कि **ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है, के परिवार को मृत्यु की तारीख से 10 वर्ष की अवधि तक बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी तथा इस हेतु कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी। यह व्यवस्था दिनांक 01.01.2006 के पूर्व दिवंगत होने वाले कर्मचारियों के मामलों में भी लागू होगी। बशर्ते दिनांक 01.01.06 को सामान्य दरों पर पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ न हो चुकी हो। पेंशनर की मृत्यु की दशा में बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन का लाभ दिवंगत पेंशनर की मृत्यु की तिथि से 07 वर्ष अथवा पेंशनर की आयु 67 वर्ष होने, जो भी पहले हो, तक अनुमन्य होगा।** निदेशक मण्डल ने शासन की उक्त व्यवस्था को, कारपोरेशन के ऐसे कर्मचारियों, जिनको पेंशन सुविधा अनुमन्य है, के सम्बन्ध में अंगीकृत करने का निर्णय लिया है।

3. अतः ऐसे प्रकरण जिनमें पूर्व व्यवस्था के अनुसार बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन बन्द कर सामान्य दरों पर पारिवारिक पेंशन दिनांक 01.01.06 से प्रारम्भ हो चुकी हो, को छोड़ते हुए अन्य मामलों में उपरोक्त शासनादेश अनुसार कार्यवाही की जाय।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या : (i)पें0एवंआर0—28 / पाकालि / 16 तददिनांकः

निदेशक (वित्त) एवं ट्रस्टी, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त आदेशों के कियान्वयन के निमित्त अग्रेतर दिशा निर्देश, यदि अपेक्षित हो, लेखा शाखा द्वारा जारी कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(उमेश गुप्त)
संयुक्त सचिव(अरा0)

क्रमशः ....2.....

संख्या :/204 (ii)पें0एवंआर0–28/पाकालि/16 तददिनांकः 17.12.2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव (वित्त)/(ऊर्जा), उ0प्र0 शासन के निजी सचिव।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, कक्ष संख्या–148, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक कोषागार, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा, केस्को, कानपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियां।
12. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियॉं।
14. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
16. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(पेंशन), लखनऊ को प्रतियों सहित।
17. महामंत्री, विद्युत पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (उ0प्र0), 86/92ख, रिसालदार पार्क, लखनऊ।
18. अध्यक्ष, फेडरेशन आफ यू0पी0, पेंशनर्स एसोसिएशन, 18–बी, सेक्टर–ए, महानगर, लखनऊ।
19. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
20. कट फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश गुप्त)
संयुक्त सचिव(अरा0)

संख्या-8-सा-3-533/ दस-2014-308/ 97 टी0सी0

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनाँक : 04 अगस्त, 2014

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

विषय : वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप बढ़ी हुयी दरों पर पारिवारिक पेंशन का भुगतान ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1508/ दस-2008-308/ 97, दिनाँक 08-12-2008 एवं कार्यालय-ज्ञाप/ शुद्धि-पत्र संख्या-सा-3-40 वी0आई0पी0/ दस-2009-308/ 97, दिनाँक 11-01-2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में पूर्ण हो जाती है, के परिवार को मृत्यु की तारिख से 10 वर्ष की अवधि तक बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी, तथा इस हेतु कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी। यह व्यवस्था दिनाँक 01-01-2006 के पूर्व दिवंगत होने वाले कर्मचारियों के मामलों में भी लागू होगी बशर्ते दिनांक 01-01-2006 को सामान्य दरों पर पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ न हो चुकी हो। पेंशनर की मृत्यु की दशा में बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन का लाभ दिवंगत पेंशनर की मृत्यु की तिथि से 07 वर्ष अथवा पेंशनर की आयु 67 वर्ष होने, जो भी पहले हो, तक अनुमन्य होगा।

2- ऐसे प्रकरण, जिनमें पूर्व व्यवस्था के अनुसार बढ़ी हुयी दरों पर

--2/ -

पारिवारिक पेंशन बन्द कर सामान्य दरों पर पारिवारिक पेंशन दिनाँक 01-01-2006 से प्रारम्भ हो चुकी हो, इन आदेशों के तहत पुनरूद्घाटित नहीं किये जायेंगे।

3- उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 08-12-2008 एवं 11-01-2010 इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,
राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या-8-सा-3-533(1)/ दस-2014-308/ 97 टी0सी0 तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- शासन के समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश।
4- निदेशक, पेंशन उत्तर प्रदेश।
5- समस्त कोषागार, उत्तर प्रदेश।
6- प्रमुख सचिव विधान सभा/ विधान परिषद, विधान भवन, लखनऊ।
7- महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
8- निदेशक, पेंशन, उत्तराखण्ड देहरादून।
9- समस्त कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
10- प्रभारी एन0आई0सी0, नवीन भवन, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।